62

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2348—एक/2016 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 22—06—2016 के द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील अम्बाह जिला मुरैना के प्रकरण कमांक 04/अ—6/2015—16.

....

1—माया देवी पत्नी स्व0 केत सिंह ठाकुर
2—राजकुमार पुत्र स्व0 श्री केत सिंह ठाकुर
निवासी कुथियना तहसील अम्बाह
जिला मुरैना म0प्र0

——— आवेदकगण

विरूद्ध

मुकेश सिंह राजावत पुत्र श्री घनश्याम सिंह
निवासी कुथियना तहसील अम्बाह
जिला मुरैना म0प्र0

———अनावेदक

....

श्री पी0 के0 तिवारी, अभिभाषक, आवेदक
श्री अशोक भार्गव, अभिभाषक, अनावेदक

....

आदेश

(आज दिनांक 11.01.2018 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील अम्बाह जिला मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 22—06—2016 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2—प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अनावेदक मुकेश सिंह राजावत पुत्र घनश्याम सिंह ठाकुर निवासी कुथियाना ने नायब तहसीलदार के न्यायालय में सर्वे कमांक 1092 रकवा 0.67, है0 का नामांतरण अंगना पुत्र देवीराम की मृत्यु हो जाने से वसीयतनामा दिनांक 28.8.15

के अनुसार नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 22.6.16 को साक्षीगण के कथन अंकित किये गये, प्रकरण में बहस हेतु दिनांक 27.6.16 पेशी नियत की गई इसी से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– आवेदक के अधिवक्ता का तर्क है कि उक्त भूमि पर आवेदक का पिछले 50 वर्षो से कब्जा दखल चला आ रहा है जिसके संबंध में प्रकरण न्यायालय में लंबित भी है तथा यह भी निवेदन किया कि अनावेदक मुकेश सिंह राजावत न तो मृतक अंगना लोधी के परिवार का है न ही समाज का है एवं वसीयत दिनांक को अधिक बीमार होने के कारण वह सोचने समझने में सक्षम नहीं थाइसलिये फर्जी तरीके से वसीयतनामा संपादित कराकर नामांतरण कराना चाहता है। आवेदक अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि एक आवेदन पत्र दिनांक 22.6.16 को विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मृतक अंगना लोधी के वारिसान मनिया राजस्थान के फूलपुर गांव में बसे हुय हैं जिनकी जानकारी मंगाकर तलब किया जावे तत्पश्चात् कार्यवाही की जावे लेकिन विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 22.6.16 को उक्त आवेदन न तो अभिलेख पर लिया गया न ही उस संबंध में कोई कार्यवाही की गई तथा आवेदक एवं उनके अभिभाषक उपस्थित होने के बावजूद भी अनुपस्थित दर्ज कर अनावेदक की साक्ष्य लेते हुये आगमी पेशी बहस हेतु नियत कर दी गई। आवेदक द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि विचारण न्यायालय द्वारा कानूनी प्रक्रिया का पालन न करते हुये एवं आवेदकगण को प्रतिपरीक्षण का अवसर न देते हुये सीधे बहस हेतु प्रकरण नियत करने में कानून भूल की है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि दिनांक 22.6.16 नायब तहसीलदार का आदेश निरस्त कर आवेदक की निगरानी स्वीकार की जावे।

4– अनावेदक अधिवक्ता का तर्क है कि विचारण न्यायालय का आदेश उचित है और प्रकरण में दिनांक 27.6.16 पेशी बहस हेतु नियत थी लेकिन आवेदक जानबूझकर प्रकरण को टाल रहे है। अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि आवेदक की निगरानी निरस्त की जावे। विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 22.6.16 विधि प्रावधानों से उचित होने से स्थिर रखने का अनुरोण किया गया है।

5– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। प्रकरण में सलंग्न अभिलेख का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट है कि पटवारी द्वारा वारिसानों का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है तथा पंचनामा भी प्रस्तुत किया गया है जिसमें यह लेख किया गया है कि वसियातकर्ता के कोई वैद्य वारिसान नहीं है । अतः प्रकरण में साक्षीगणों के भी कथन लिये गये हैं। इससे स्पष्ट होता है कि नायब तहसीलदार तहसील अम्बाह जिला मुरैना के प्रकरण क्रमांक 04/अ–6/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 22.6.16 उचित होने से हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझता हूँ। नायब तहसीलदार द्वारा पारित अंतिरिम आदेश दिनांक 22.6.16 स्थिर रखने योग्य है।

6–उपरोक्त विवेचना के आधार पर नायब तहसीलदार तहसील अम्बाह जिला मुरैना के प्रकरण क्रमांक 04/अ–6/2015–16 में पारित अंतिरिम आदेश दिनांक 22.6.16 स्थिर रखा जाता है तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी बलहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर